न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

डगलाराम पुत्र श्री भींवाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी अडाणी तहसील परबतसर

..... वादी

बनाम

1– लालाराम पुत्र रामदीन जाति जाट उम्र 60 वर्ष
2– नानूराम पुत्र रामदीन जाति जाट उम्र 52 वर्ष
3– सुखी देवी पत्नी कानाराम जाति जाट उम्र 53 वर्ष
4– रमेश पुत्र कानाराम जाति जाट उम्र 27 वर्ष
5– मुकेश पुत्र कानाराम जाति जाट उम्र 23 वर्ष
6– सुमन पुत्री कानाराम जाति जाट उम्र 25 वर्ष
7– भंवराराम पुत्र जोरूराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष
8– रूघाराम पुत्र जोरूराम जाति जाट उम्र 38 वर्ष
9– किशनाराम पुत्र श्री जोरूराम जाति जाट उएम्र 27 वर्ष सभी निवासी अडाणी
10– भंवरी देवी पुत्री जोरूराम पत्नी मेवाराम उम्र 46 वर्ष निवासी ठठाणा तहसील नांवा
11– रूका देवी पुत्री जोरूराम पत्नी गोपालराम उम्र 44 वर्ष निवासी सवाईपुरा तहसील नांवा
12– रतनी देवी पुत्री जोरूराम पत्नी गणेशराम उम्र 39 वर्ष जाति जाट निवासी सवाईपुरा तहसील
13– शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैक शाखा परबतसर
14– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार परबतसर

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री गोपाल पुनिया, अधिवक्ता वादी
:– प्रतिवादी संख्या 1 से 13 एकपक्षीय अनुपस्थित

मुकदमा नम्बर :– 2018/00184 निर्णय दिनांक :–

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल पुनिया ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम अडाणी की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 2.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल रकबा 2.5300 हैक्टर व खसरा नम्बर 234 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.2900 हैक्टर कुल रकबा 6.0000 हैक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 8.5300 हैक्टर स्थित हैं उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा अपने 1/2 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा है तथा खसरा नम्बर 347 रकबा 0.0300 हैक्टर

24/3/22

में भगवान देवनारायण का मन्दिर बना हुआ है जो लगभग 500 वर्षो पुराना है जो ग्राम अडाणी के बसने के पूर्व का बना हुआ है जिसमें चार दीवारी की हुई है जिसमे भव्य मन्दिर बना हुआ है तथा सार्वजनिक टयूबवेल बना हुआ है दो भण्डार कक्ष व दो बरामदा हौद व धूणी का निर्माण किया हुआ है जिस पर कब्जा स्वामित्व मन्दिर समिति का चला आ रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर 347 पर वादी व प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा स्वामित्व आधिपत्य नही हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड की भूल से वादी व प्रतिवादीगण का नाम अंकित चला आ रहा है तथा वर्तमान में पुजारी देवकरण गुर्जर है तथा वादी खसरा नम्बर 346 के पश्चिमी तरफ 1/2 हिस्से पर क़ाबिज चला आ रहा है तथा देवनारायण मन्दिर की तरफ वादी काबिज है तथा दूसरी तरफ 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 काबिज चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 234 व 235 सीवाजोड है जिसके क्षेत्रफल को जोडकर 1/2 हिस्से पर उत्तरी तरफ वादी का हिस्सा एवम् दक्षिण तरफ 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 काबिज चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 245 व 246 सीवाजोड है जिसके क्षेत्रफल को जोडकर वादी 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 245 का उत्तरी हिस्सा वादी का है तथा प्रतिवादी के 1/2 हिस्से में खसरा नम्बर 246 सम्पूर्ण व 245 का दक्षिणी नीचे का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 काबिज चले आ रहे है तथा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु परिशिष्ट 'क' नजरी नक्शा की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है जिसमें लाल स्याही से वादी का हिस्सा दर्शित किया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग समझा जाये तथाा उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के बीच आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा वर्षो पूर्व किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से पर लगातार काबिज़ चला आ रहा है तथा मौके पर अलग अलग सीवे नीवें कायम कर रखी है तथा खसरा नम्बर 346 के उत्तरी तरफ खोखर से बिदियाद जाने वाली मुख्य डामर सडक आयी हुई है जिससे खसरा नम्बर 347 भगवान देवनारायण के मन्दिर में जाने के लिये वादी अपने हिस्से मे से 12 फुट का रास्ता राज्य सरकार में सरेण्डर करना चाहता है लेकिन विधि अनुसार सरेण्डर करने के लिये बंटवारा किया जाना आवश्यक हैं उक्त रास्ते हेतु वादी द्वारा ग्रामवासियो व मन्दिर समिति के पक्ष में दिनांक 6–2–2018 को एक इकरारनामा बाबत रास्ता का निष्पादित कर रखा है तथा वादी उक्त रास्ता 12 फुट सरेण्डर करने हेतु लिये पूर्णतया तैयार व तत्पर है वादी को उक्त रास्ता सरेण्डर करने हेतु बंटवारा जो वादी व प्रतिवादीगण के बीच वर्षो पूर्व किया हुआ है उसी अनुसार प्रतिवादीगण को करने का कहने पर उनके द्वारा बंटवारा करने से आना कानी कर रहे है तथा प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से उसका नाजायज दुरूपयोग करते हुये

24/01/22

वादी की कृषि भूमि को हड़प करने पर उतारू है तथा वादी अकेला व्यक्ति होने के कारण उसकी कुछ जमीन पर काबिज होना चाहते है इसलिये वादी को बंटवारा का वाद लाना आवश्यक हो गया है तथा खसरा नम्बर 347 रकबा 0.0300 हैक्टर में भगवान देवनारायण का मन्दिर बना हुआ है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 का कोई हक हिस्सा नही है जिसकी खातेदारी मन्दिर के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन राजस्व रेकर्ड की भूल से वादी व प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा हैं जिसे रेकर्ड में दुरूस्ती करवाना आवश्यक संशोधन करवाना आवश्यक हो गया है। तथा वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा घोषित किये जाने की तथा दुरूस्ती रेकर्ड की इस्तदुआ चाही है। वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 डंगलाराम , पीडब्ल्यू 2 गंगाराम जाजडा, पीडब्ल्यू 3 उकारराम जाजडा उपस्थित हुये तथा उनके बयान कलमबद्व करवाये गये तथा साक्ष्य बन्द की गई तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 6 दस्तावेजात प्रस्तुत किये। तत्पश्चात वादी का वाद प्राथमिक रूप से दिनांक 17.09.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, परबतसर को से बंटवारा प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांकः 435 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किया गया। जिसको वकील वादी ने पढ़ समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर अलग अलग होल्डिंग कायम करने का निवेदन किया है।

2. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

3. उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके खसरा नम्बर 346, 347 कुल रकबा 2.53 हैक्टयर भूमि में लालाराम, कानाराम, नानूराम पि. रामदीन, भंवराराम रूघाराम, किसनाराम पि. जोरूराम, भंवरीदेवी, रूमादेवी, रतनीदेवी पुत्रिया जोरूराम 1/2 हिस्सा है डगलाराम पुत्र भींवाराम 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज है जिसमें कानाराम फौत होने पर उसके वारिसान का नाम सुखीदेवी पत्नी कानाराम, रमेश, मुकेश पि. कानाराम, सुमन पुत्री कानाराम दर्ज किया गया है तथा खसरा नम्बर 234, 235, 245, 246 कुल रकबा 6.00 हैक्टयर भूमि में लालाराम, कानाराम, नानूराम पि. रामदीन, भंवराराम रूघाराम, किसनाराम पि. जोरूराम, भंवरीदेवी,

24/01/22

रूमादेवी, रतनीदेवी पुत्रिया जोरूराम 1/2 हिस्सा है डगलाराम पुत्र भींवाराम 1/2 सा. देह खातेदार दर्ह है जिसमें कानाराम फौत होने पर उसके वारिसान का नाम सुखीदेवी पत्नी कानाराम, रमेश, मुकेश पि. कानाराम, सुमन पुत्री कानाराम दर्ज किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। वादी ने उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाकर अलग – अलग होल्डिंग कायम करने का निवेदन किया है जिसका वादी को कानूनी अधिकार है, वादी ने वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ठ "क" प्रदर्श– 6 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वादी व सभी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त दर्शित करते हुए बंटवारा चाहा है, जिसमें खसरा नम्बर 347 रकबा 0.0300 हैक्टयर भूमि मंदिर भगवान श्री देवनारायण ग्राम अडाणी की सम्पति होना बताया है तथा वर्षो पुराना मंदिर बना हुआ होना बताया है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का नाम हटये जाने का निवेदन किया गया है, लेकिन उक्त खसरा नम्बर की भूमि कभी मंदिर के नाम दर्ज रही हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे खसरा नम्बर 347 की भूमि मंदिर के नाम घोषित किया जाना उचित नहीं है। शेष भूमि का राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसा बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड किया जाना उचित है। जिससे वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार परबतसर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित अनुसार ग्राम अडणी के खसरा नम्बर 235 रकबा 1.04, 234/1 रकबा 0.085 हैक्टयर खसरा नम्बर 245 रकबा 1.875 हैक्टयर कुल रकबा 4.25 हैक्टयर भूमि वादी डगलाराम की खातेदारी में घोषित की जाती है। वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा ऑरियन्टल बैंक शाखा परबतसर के नाम रहन दर्ज रहेगा। खसरा नम्बर 234 रकबा 1.125 हैक्टयर, खसरा नम्बर 245/1 रकबा 0.585 हैक्टयर, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 346/1 रकबा 1.25 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में यथावत दर्ज रिकार्ड रहेगी। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण अलग – अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश दिनांक .... को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर